पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

श्रीमती नूतन सिंह

बनाम

शंकर शरण सिंह की संपत्ति एवं अन्य

2010 की विविध अपील सं.190

के साथ

2012 की विविध अपील सं.215

16 दिसंबर 2022

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय)

विचार के लिए मुद्दा

• मुख्य मुद्दा यह निर्धारित करना था कि दोनों प्रतिद्वंदी दावेदारों, श्रीमती नूतन सिंह (अपीलकर्ता) या श्रीमती विभा कुमारी सिंह (उत्तरदाता सं. 2) में से कौन मृतक शंकर शरण सिंह की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी और इस प्रकार उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की हकदार थी। (अनुच्छेद 37)

• एक सहायक कानूनी मुद्दा यह था कि क्या अपीलीय न्यायालय को मुकदमा शुरू होने के दो दशक बाद, अपीलीय स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन (आई.ए. सं. 04/2022) को स्वीकार करना चाहिए। (अनुच्छेद 59-64, 89(vi)-(vii))

हेडनोट्स

अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने पर: न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य (आई.ए. सं. 04, 2022) को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता दो दशकों से अधिक की अत्यधिक देरी के लिए कोई "पुख्ता कारण" प्रस्तुत करने में विफल रहा। किसी अधिवक्ता की लापरवाही या किसी पक्ष की असावधानी अपीलीय स्तर पर साक्ष्य स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनती, खासकर जब मूल अपील ज्ञापनों में ऐसे साक्ष्य का उल्लेख ही नहीं किया गया था। न्यायालय ने दस्तावेजों को संदिग्ध पाया, मृतक के हस्ताक्षरों में विसंगतियां और बच्चे के मुंगेर में पढ़ने की एक अस्पष्टीकृत विसंगति को नोट किया, जबकि अपीलकर्ता ने लगातार पटना में रहने का दावा किया था। (कंडिका 89(vi)-(ix), 93, 96)

उत्तराधिकार के दावे के गुण-दोष पर: न्यायालय ने निचली न्यायालय के निष्कर्षों को बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि नूतन सिंह शंकर शरण सिंह के लापता होने (20.07.1995) से पहले के अपने विवाह के दावे को पुष्ट करने के लिए कोई भी विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहीं। इसके विपरीत, बिभा कुमारी सिंह ने समसामयिक दस्तावेजी साक्ष्य (लगनपत्री, विक्रय विलेख, संयुक्त बैंक खाता, प्राथमिकी, सास से अनापत्ति प्रमाण पत्र) का एक विशाल संग्रह प्रस्तुत किया, जिससे कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में उनकी स्थिति निर्णायक रूप से सिद्ध हुई। न्यायालय ने यह भी कहा कि नूतन सिंह द्वारा अपनी याचिका में मृतक की माँ का उल्लेख न करना, जैसा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372(ग) के अंतर्गत अनिवार्य है, एक गंभीर त्रुटि थी। (अनुच्छेद 89(i)-(v), 90-91, 97)

दोनों विविध अपीलें (एम.ए. सं. 190, 2010 और एम.ए. सं. 215, 2012) खारिज कर दी गईं। निचली न्यायालय के दिनांक 26.06.2009 के सामान्य आदेश, जिसके तहत बिभा कुमारी सिंह को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था, को बरकरार रखा गया। (अनुच्छेद 98)

न्याय दृष्टान्त

एंडिसामी चेट्टियार बनाम ए. सुब्बुराज चेट्टियार, **(2015) 17 एससीसी 713**: पारस 65, 92); भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं अन्य, **(2012) 8 एससीसी 148/2013 (1) पीएलजेआर (एससी) 48** (कंडिका 66-67, 82, 89(वी), 93); संजय कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य, **एआईआर 2022 एससी 1372**: (कंडिका 68, 94); डॉ. चन्द्र देव त्यागी बनाम अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) (कंडिका 69,95); के.पी. नारायण रेड्डी बनाम अल्ला नागी रेड्डी, **एआईआर 1996 एपी 198 (**कंडिका 75)

अधिनियमों की सूची

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925; दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908

मुख्य शब्दों की सूची

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र; कानूनी रूप से विवाहित पत्नी; विवाह का प्रमाण; अतिरिक्त साक्ष्य; आदेश XLI नियम 27 सीपीसी; पर्याप्त कारण; भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925; अनिवार्य प्रावधान; दस्तावेजी साक्ष्य; अपीलीय क्षेत्राधिकार

प्रकरण से उत्पन्न

उत्तराधिकार वाद सं.115/2002 और उत्तराधिकार वाद सं. 123/2002 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, पटना द्वारा पारित सामान्य निर्णय एवं आदेश दिनांक 26.06.2009 (कंडिका 1)

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2010 की विविध अपील सं.190 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्रीमती निवेदिता निर्वाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सुरेश कुमार ईश्वर, अधिवक्ता, श्री अनिल कुमार तिवारी, अधिवक्ता, सुश्री ऋचा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री अजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता

(2012 की विविध अपील सं. 215 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्रीमती निवेदिता निर्वाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सुरेश कुमार ईश्वर, अधिवक्ता, श्री अनिल कुमार तिवारी, अधिवक्ता, सुश्री ऋचा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री अजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता

रिपोर्टर जिनके द्वारा हेडनोट बनाया गया:- सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2010 की विविध अपील सं.190

==========

श्रीमती नूतन सिंह, पति-स्वर्गीय शंकर शरण सिंह, निवासी, मोहल्ला-शिवपुरी, थाना-शास्त्री नगर, शहर और जिला-पटना ।

... ... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. शंकर शरण सिंह, पिता स्वर्गीय राम भजन सिंह थाना-शास्त्री नगर, शहर और जिला-पटना की जागीर।

2. श्रीमती बिभा कुमारी सिंह उर्फ बिभा देवी, कथित रूप से स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की पत्नी, पुत्री-श्री परशुराम सिंह, जैसा कि याचिका में वर्णित है, निवासी-धुरीचक, थाना-बिहटा, जिला पटना ।

3. बिभा सिंह के संरक्षण में विवेक सिंह।

.... उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2012 की विविध अपील सं.215

==========

श्रीमती नूतन सिंह, पति-स्वर्गीय शंकर शरण सिंह, निवासी मोहल्ला-शिवपुरी, थाना-शास्त्री नगर, शहर और जिला-पटना ।

... ... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. शंकर शरण सिंह, पिता स्वर्गीय राम भजन सिंह थाना-शास्त्री नगर, शहर और जिला-पटना की जागीर।

2. श्रीमती बिभा कुमारी सिंह उर्फ बिभा देवी, कथित तौर पर स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की पत्नी, पुत्री-श्री परशुराम सिंह, जैसा कि याचिका में वर्णित है निवासी-धुरीचक, थाना-बिहटा, जिला पटना ।

... ... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति :

(2010 की विविध अपील सं.190 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए	:	श्रीमती निवेदिता निर्वाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार ईश्वर, अधिवक्ता श्री अनिल कुमार तिवारी, अधिवक्ता सुश्री ऋचा, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए	:	श्री अजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता
(2012 की विविध अपील सं. 215 में)		
अपीलकर्ता/ओं के लिए	:	श्रीमती निवेदिता निर्वाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार ईश्वर, अधिवक्ता श्री अनिल कुमार तिवारी, अधिवक्ता सुश्री ऋचा, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए	:	श्री अजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय

सीएवी निर्णय

तारीखः 16-12-2022

अपीलकर्ता द्वारा विविध अपील सं. 190/2010 और विविध अपील सं. 215/2012 के तहत दो अपीलें, विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, IV, पटना द्वारा दिनांक 26.06.2009 को पारित सामान्य आदेश और निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। जो उत्तराधिकार वाद सं.115/2002 **(श्रीमती नूतन सिंह बनाम स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की संपत्ति)** और उत्तराधिकार वाद सं. 123/2002 **(बिभा कुमार सिंह उर्फ़ बिभा सिंह एवं विवेक सिंह बनाम स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की संपत्ति)** में पारित किया गया था। जिसके द्वारा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील (उत्तराधिकार वाद सं.115/2002) को खारिज कर दिया गया, जबकि उत्तराधिकार वाद सं. 123/2002 (प्रतिवादी बिभा कुमारी सिंह द्वारा प्रस्तुत) को स्वीकार कर लिया गया।

2. वर्तमान अपील को उत्पन्न करने वाले तथ्यों का सार इस प्रकार है:

2002 का उत्तराधिकार मामला सं.115

3. अपीलार्थी के अनुसार, उसने 07.06.1985 को स्वर्गीय शंकर शरण सिंह से विवाह किया था। उसके पति, जो उप-जेल, बाढ़, पटना में सहायक थे, 20.07.1995 को लापता हो गए। समय बीतने और सात वर्ष बीत जाने के बाद, कानून के तहत यह माना गया कि वह अब जीवित नहीं हैं।

4. वे अपीलकर्ता और एक नाबालिग बेटी, शुभ्रा श्री को अपने पीछे छोड़ गए, जिनका जन्म वर्ष 1988 में हुआ था। उनके पति सरकारी कर्मचारी थे और चूँकि वह पेंशन की हकदार थीं, इसलिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (जिसे अब संक्षेप में 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 370 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी।

5. तदनुसार, 2002 के उत्तराधिकार मामले सं.115 को प्राथमिकता दी गई।

6. महिला, उत्तरदाता सं.2, बिभा कुमारी सिंह उक्त उत्तराधिकार मामले में उपस्थित हुईं और उन्होंने प्रार्थना का विरोध किया।

2002 का उत्तराधिकार मामला सं.123

7. उत्तराधिकार वाद सं.123/2002 में बिभा कुमारी सिंह (उत्तरदाता सं. 2) का मामला यह था कि उनके पति, शंकर शरण सिंह, जो उप-जेल, बाढ़ में सहायक के रूप में तैनात रहते हुए, 20.07.1995 को लापता हो गए, जिसके बाद उपरोक्त अपीलकर्ता, नूतन सिंह ने स्वयं को उनकी पत्नी के रूप में प्रस्तुत करते हुए, स्थानीय कार्यालयों के साथ मिलीभगत करके, सरकार से 27,000/- रुपये का प्रारंभिक मुआवजा प्राप्त किया और उत्तराधिकार वाद भी दायर किया।

8. उनका आगे का मामला यह था कि उन्होंने 17.05.1987 को शंकर शरण सिंह से विवाह किया और वर्ष 1998 में उन्हें एक पुत्र, गजानंद सिंह उर्फ विवेक सिंह, की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान दर्शाने के लिए दंपत्ति की संयुक्त तस्वीरें और

अपने पति के साथ पंजाब नेशनल बैंक, नेउरा शाखा, पटना का संयुक्त बैंक खाता भी प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की माता, प्रेमा कुमारी को अपना रिश्तेदार बताया। इसलिए उन्होंने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए उत्तराधिकार वाद सं.123/2002 दायर किया।

9. विद्वान न्यायालय ने दोनों मामलों पर एक साथ विचार किया।

10. 2002 के उत्तराधिकार मामले में नूतन सिंह ने पाँच गवाह पेश किए जो इस प्रकार थेः

(i) अ.स.1-नूतन सिंह, स्वयं अपीलार्थी;

(ii) अ.स.1 बहादुर सिंह, अपीलार्थी के पिता;

(iii) अ.स.3 राजो ठाकुर, नाई;

(iv) अ.स.4 नुनू बाबू राय चौधरी, एक सह-ग्रामीण;

(v) अ.स.5-अवधेश चौधरी, अपीलार्थी के चाचा;

11. प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज इस प्रकार थेः

(i) प्रदर्श.1- 2001 के शिकायत मामले सं.379 (सी) की प्रमाणित प्रति;

(ii) प्रदर्श.1/ए -2000 के टी.पी.एस. सं. 292 के आदेश फलक की प्रमाणित प्रति;

(iii) प्रदर्श.2 गर्दनीबाग थाना 520 की 1998 की औपचारिक प्रथिमिकी

12. अ.स.1, नूतन सिंह ने दावा किया कि उनके पति ने बिभा कुमारी सिंह से कभी शादी नहीं की और उनके द्वारा दायर किया गया मामला झूठा और मनगढ़ंत है। दावे के अनुसार, उनकी शादी मुंगेर के 'गोयनका धर्मशाला' में हुई थी। उनका यह भी दावा था कि वह एक घर में रह रही थीं जो प्रेमा कुमारी (स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की माँ) के नाम पर पंजीकृत है और उक्त घर का कर भी चुका रही हैं। उन्होंने इस दावे का खंडन किया कि यह

मामला स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की संपत्ति हड़पने के लिए दायर किया गया है।

13. अ.स.2, अपीलकर्ता के पिता से भी पूछताछ की गई और उनके अनुसार, उनकी बेटी का विवाह 17.06.1985 को हुआ था और विवाहेतर संबंध से एक बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने विभा कुमारी सिंह और शंकर शरण सिंह के विवाह से भी इनकार किया।

14. अ.स. 3, राजो ठाकुर जो नाई हैं और उनके अनुसार, नूतन की शादी 'गोयनका धर्मशाला', मुंगेर में हुई थी, जिसमें उन्होंने नाई के रूप में भाग लिया था।

15. अ.स.4, एक सह-ग्रामीण नूनू बाबू चौधरी हैं। उनके अनुसार, उनकी उपस्थिति में विवाह संपन्न हुआ।

16. अ.स.5, अवधेश चौधरी ने, जो स्वयं को अपीलकर्ता का चाचा बताते हैं, यह भी कहा कि उन्होंने विवाह में भाग लिया था और प्रति परीक्षण में कहा कि 'बारात' मुंगेर के 'भारत गेस्ट हाउस' में रुकी थी।

17. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण पहले ही कंडिका में दिया जा चुका है।

18. दूसरी ओर बिभा कुमारी सिंह (2002 का उत्तराधिकार मामला) ने आठ गवाह पेश किए।

19. अ.स.1, बिभा सिंह के मायके के सह-ग्रामीण सत्येंद्र शर्मा ने बताया कि विवाह 17.05.1987 को हुआ था, जिसमें उन्होंने भी भाग लिया था। उन्होंने आगे बताया कि विवाह से 1988 में एक पुत्र का जन्म हुआ था।

20. अ.स.2, अवधेश कुमार भी एक सह-ग्रामीण हैं जिन्होंने दावा किया कि वे 1987 की उस शादी में शामिल हुए थे जिसके बाद महिला शिवपुरी, पटना (अपने ससुराल) चली गई।

21. अ.स.3-लालू शर्मा पटना के शिवपुरी इलाके में 30 वर्षों से दूध का

व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वे बिभा कुमारी सिंह के ससुराल में दूध की आपूर्ति करते थे और उनके अनुसार, बिभा कुमारी सिंह का विवाह स्वर्गीय शंकर शरण सिंह से हुआ था। प्रति परीक्षण के दौरान, उन्होंने बताया कि स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की माँ ने उन्हें बिभा कुमारी सिंह के मामले में गवाह के रूप में पेश होने के लिए कहा था।

22. अ.स.4-राम बिलास ठाकुर एक नाई थे जो शादी में शामिल हुए और उन्होंने बिभा कुमारी सिंह के मामले का समर्थन किया।

23. अ.स.5-शशि भूषण पांडे एक पुजारी थे जिन्होंने शंकर शरण सिंह का विवाह विभा कुमारी सिंह से कराया था और उनके अनुसार तिलक और फलदान शिवपुरी में हुआ था। उन्होंने आगे चलकर लग्नपत्री (प्रदर्श 1) भी प्रमाणित की जो स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की माता के निर्देशानुसार विभा कुमारी सिंह के पिता को दी गई थी।

24. अ.स.6-बिभा कुमारी सिंह ने अपने मामले का समर्थन किया और आगे कहा कि विवाह संपन्न हुआ था और उक्त विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका आगे का बयान यह था कि उनके पति के साथ एक संयुक्त पासबुक खोली गई थी और स्वर्गीय शंकर शरण सिंह ने उनके नाम पर एक ज़मीन भी खरीदी थी। उनका आगे का मामला यह था कि उनके पिता और पति के बीच विवाद था जिसके कारण उनके पति ने उनके पिता के खिलाफ बिहटा थाना मामला सं.197/1991 दर्ज कराया जिस पर उनके पति के हस्ताक्षर भी थे (प्रदर्श.7)।

25. बिभा कुमारी सिंह ने आगे बताया कि 20.07.1995 को उनके पति लापता हो गए और मौका पाकर नूतन सिंह सामने आईं और खुद को उनकी पत्नी बताया। महिला बिभा कुमारी सिंह ने पहचान के लिए तस्वीरें ('X' और 'X/1') रिकॉर्ड में दर्ज कराईं और अपनी शादी का दिन भी रविवार बताया।

26. उत्तरदाता बिभा कुमारी सिंह का आगे का दावा यह है कि उनका नाम राशन कार्ड में ग्राम-विक्रमपुर, पुलिस थाना चेरिया बरियारपुर जिला-बेगूसराय में अंकित पाया

गया है, जो उनके पति का पैतृक गांव है।

27. अ.स.7 कमलेश शर्मा हैं जिन्होंने प्रदर्श. 2 और प्रदर्श. 2/1 के माध्यम से 'मालगुजारी' रसीदें साबित कीं।

28. अ.स.8 परशुराम सिंह हैं जो बिभा कुमारी सिंह के पिता हैं। उनके अनुसार, शादी 17.05.1987 को हुई थी, जिसके बाद एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम गजानंद सिंह उर्फ विवेक सिंह था। इसके अलावा, उनके दामाद ने अपनी बेटी के नाम पर 'पाठ्य पुस्तक सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड', दीघा, पटना (संक्षेप में सहकारी समिति) से एक जमीन (9 कट्ठा)भी खरीदी थी। इसके अलावा, उनके दामाद ने 1991 के बिहटा थाना मामला सं.197 के माध्यम से उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।

29. उन्होंने आगे बताया कि ज़मीन का एक और टुकड़ा स्वर्गीय शंकर शरण सिंह ने गाँव-पांडेयपुर, बिहटा में (32 ½ डिसमल) खरीदा था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनके दामाद ने नूतन सिंह से कभी शादी की थी और उन्होंने यह मामला केवल उस संपत्ति को हड़पने के लिए उठाया था जिसके बारे में उन्होंने विभाग को पहले ही सूचित कर दिया था और उनके द्वारा भेजे गए दो पत्रों को प्रदर्श. 3 और प्रदर्श. 3/ए के रूप में चिह्नित किया गया है।

30. अ.स.9 उमा प्रसाद हैं जिन्होंने स्वर्गीय शंकर शरण सिंह (प्रदर्श. 4) के हस्ताक्षर से पावती रसीद प्रमाणित की।

31. अ.स.10 शैलेश प्रसाद हैं जिन्होंने बिभा कुमारी सिंह (प्रदर्श.5) के पक्ष में 01.12.1993 दिनांकित बिक्री विलेख साबित किया।

32. अ.स.11 नागेश्वर सिंह हैं जिन्होंने अंबिका प्रसाद बाजपेयी (प्रदर्श.6) द्वारा तैयार की गई 'जनमकुंडली' को साबित किया।

33. अ.स.12 दीप नारायण सिंह हैं जिन्होंने पत्र सं.2680 दिनांकित 27.05.1987 को साबित किया।

34. बिभा कुमारी सिंह ने जिन अन्य दस्तावेजों को प्रदर्शनी के रूप में प्रस्तुत किया, वे थेः

(i) प्रदर्श.7-2010 के बिहटा थाना मामला सं.197/1991 के प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति।

(ii) प्रदर्श.8-दिनांकित 30.12.1992 की बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रतियां और साथ ही उत्तराधिकार मामले सं.26/2019 की दिनांकित 30.01.2002 आदेश फलक।

35. इसके बाद विद्वत न्यायालय ने मामले पर विचार किया और संबंधित पक्षों को विस्तार से सुना।

36. विद्वत न्यायालय ने अंततः दिनांक 26.06.2009 के एक आदेश द्वारा यह माना कि स्वीकृत तथ्य यह है कि राम भजन सिंह अपनी विधवा प्रेमा कुमारी को पीछे छोड़कर मर गए और दंपत्ति को एक पुत्र, शंकर शरण सिंह प्राप्त हुआ, जो पटना के बाढ़ उप-जेल में सहायक था और 20.05.1995 से लापता हो गए।

37. विद्वत न्यायालय ने आगे कहा कि विवाद यह है कि क्या अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता नूतन सिंह कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हैं या विभा कुमारी सिंह उर्फ बिभा सिंह, उत्तरदाता सं. 2।

38. विद्वत न्यायालय ने नूतन सिंह के मामले में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह माना कि:

(i) हालाँकि नूतन सिंह ने दावा किया था कि उन्होंने 27.06.1985 को मुंगेर में शंकर शरण सिंह से विवाह किया था, लेकिन कोई भी दस्तावेज़ या तस्वीर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं की गई थी;

(ii) इसके अलावा, अपीलार्थी ने दावा किया कि उसके पास अपनी बेटी शुभ्रा श्री के नाम के पंजीकरण के संबंध में दस्तावेज है, जिस पर महिला और उसके पति स्वर्गीय शंकर शरण सिंह दोनों के हस्ताक्षर हैं, अभिलेख के अवलोकन पर यह पाया गया कि यह उसके द्वारा दायर नहीं किया गया था और इस तरह उसका दावा कि शुभ्रा श्री दंपति की बेटी है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है;

(iii) इसके अलावा, ऐसा कोई कागज़ नहीं है जो दिखा सके कि नूतन सिंह का विवाह स्वर्गीय शंकर शरण सिंह के साथ हुआ था;

(iv) आगे यह निष्कर्ष निकला कि टी.पी.एस. सं.292/2000 के आदेश पत्र की प्रमाणित प्रति और गर्दनीबाग थाना कांड सं. 521/1998 की औपचारिक प्राथमिकी के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रदर्श यह साबित नहीं करते कि वह स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की पत्नी थीं और सभी कागज़ात शंकर शरण सिंह के लापता होने की तारीख यानी 20.07.1995 के बाद के हैं और इस प्रकार वे उनकी पुष्टि नहीं करते।

39. इस प्रकार विद्वत न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित नहीं होता है कि नूतन सिंह, शंकर शरण सिंह की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और इस तरह वह उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की हकदार नहीं है। तदनुसार, 2002 का उत्तराधिकार मामला सं.115 खारिज कर दिया गया था।

40. बिभा कुमारी सिंह के मामले में (उत्तराधिकार वाद सं.123/2002) आते हुए, विद्वान न्यायालय ने माना कि उन्होंने 17.05.1987 को शंकर शरण सिंह से विवाह करने का दावा किया था और उक्त विवाह से गजानंद सिंह उर्फ विवेक सिंह का जन्म हुआ। उन्होंने इस आशय की तस्वीर (प्रदर्श.X और X/1) भी प्रस्तुत की।

41. न्यायालय ने आगे कहा कि बिभा कुमारी सिंह की सास प्रेमा कुमारी (स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की मां) ने महिला के पक्ष में शपथ पत्र के साथ 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' दायर किया जो कि उसकी स्वीकारोक्ति है कि वह उनके बेटे की पत्नी हैं। सास ने आगे कहा कि उन्हें महिला-बिभा कुमारी सिंह को दिए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर कोई आपत्ति नहीं है।

42. इसने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि स्वर्गीय शंकर शरण सिंह ने बिभा कुमारी सिंह के पिता के विरुद्ध बिहटा थाना मामला सं. 197/1991 दायर किया था, जिसमें बीभा कुमारी सिंह के पिता ने मारपीट का आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने उन्हें ससुर कहकर संबोधित किया था और उक्त दस्तावेज़ भी इस बात का समर्थन करता है कि वह स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हैं।

43. फिर प्रदर्श.1, लगनपत्री' जो दर्शाता है कि विवाह उत्तरदाता बिभा कुमार सिंह और उनके दिवंगत पति, शंकर शरण सिंह के बीच तय किया गया था। फिर प्रदर्श.2 और 2/ए, बिभा कुमारी सिंह के पक्ष में राजस्व प्राप्तियाँ उन्हें स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की पत्नी बताती हैं।

44. न्यायालय ने आगे कहा कि प्रदर्श.3 और 3/1 से पता चलता है कि संबंधित विभाग ने उसे उसकी पत्नी मानते हुए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगा था। इसके अलावा, 01.02.1993 (प्रदर्श. 5) का विक्रय विलेख भी है, जिसमें उसका नाम शंकर शरण सिंह की पत्नी के रूप में दर्ज है, जिसे सहकारी समिति के सचिव द्वारा विधिवत रूप से निष्पादित किया गया है। इस प्रकार, न्यायलय ने माना कि ये दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में

स्वीकार्य हैं

45. न्यायालय ने आगे कहा कि प्रदर्श.8 एक अन्य बिक्री विलेख है जो दर्शाता है कि स्वर्गीय शंकर शरण सिंह ने बिभा कुमारी सिंह के पक्ष में कुछ जमीन खरीदी थी और ये सभी दस्तावेज उत्तरदाता के पति के लापता होने से पहले के हैं।

46. इस प्रकार, विद्वत न्यायालय ने यह माना कि बिभा कुमारी सिंह, स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हैं और उनके बीच पति-पत्नी का रिश्ता है। न्यायालय ने यह भी माना कि नूतन सिंह, बिभा कुमारी सिंह की ओर से प्रस्तुत किए गए इन सभी साक्ष्यों का खंडन करने में विफल रहीं और यह नहीं कहा जा सकता कि ये दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बनाए गए हैं।

47. अदालत ने अंततः यह माना कि बिभा कुमारी सिंह ने एक मामला बनाया है और इस प्रकार वह उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की हकदार हैं।

48. तदनुसार, इसने उत्तराधिकार मामला सं.123/2002 को अनुमति दी।

49. परिणामस्वरूप, नूतन सिंह द्वारा प्रस्तुत उत्तराधिकार वाद सं. 115/2002 को खारिज कर दिया गया, जबकि बिभा कुमारी सिंह द्वारा प्रस्तुत उत्तराधिकार वाद सं.123/2002 को स्वीकार कर लिया गया।

50. उक्त आदेश से व्यथित होकर, दो अपीलें दायर की गई हैं।

51. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

52. अपीलकर्ता नूतन सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती निवेदिता निर्वाकर ने तर्क दिया कि स्वर्गीय शंकर शरण सिंह के साथ विवाह 1985 में हुआ था और उक्त विवाह से एक कन्या, शुभ्रा श्री, का जन्म हुआ। इसके अलावा, विवाह के बाद वह शिवपुरी स्थित अपने ससुराल में रह रही थीं जहाँ से उनके पति 20.07.1995 को लापता हो गए।

53. बाद में, विभाग ने उसके पक्ष में 27,000 रुपये जारी कर दिए। विद्वान

वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि वर्ष 2000 में, उसने अपने दिवंगत पति की पैतृक संपत्ति में से अपने हिस्से के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष बटवारे का वाद (टी.पी.एस. सं. 292/2000) दायर किया था। उक्त वाद में, स्वर्गीय शंकर शरण सिंह के परिवार के सदस्य उपस्थित हुए और उसकी दलील का विरोध करते हुए कहा कि उसके लापता होने से पहले ही भाइयों के बीच विभाजन हो चुका था। विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि चूँकि स्वर्गीय शंकर शरण सिंह के परिवार के सदस्यों ने उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में कोई विरोध नहीं किया था, इसलिए यह माना जाएगा कि उन्होंने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था।

54. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हालाँकि उक्त मुकदमे को इस तथ्य के मद्देनज़र समय से पहले खारिज कर दिया गया था कि स्वर्गीय शंकर शरण सिंह के 20.07.1995 को लापता होने के बाद सात साल बीत नहीं पाए थे, फिर भी तथ्य यह है कि उनकी प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाया गया था। उनका यह भी तर्क है कि उत्तरदाता बिभा कुमारी सिंह द्वारा 21.08.1995 को शास्त्री नगर थाने में दर्ज कराए गए एक 'सनहा' में, उन्होंने स्वर्गीय शंकर शरण सिंह के लापता होने में अपीलकर्ता की भूमिका का आरोप लगाया था, जिसमें नूतन सिंह को पहली पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया था।

55. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का आगे तर्क यह था कि विवाह के बाद, वह शिवपुरी, पटना में रह रही थी और अभी भी रह रही है, जो स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की संपत्ति है और उसकी सास के नाम पर पंजीकृत है, जिसके लिए वह नियमित रूप से राजस्व किराया दे रही है और उसके पास किराए की रसीदें भी हैं।

56. अगला तर्क उप-पुलिस अधीक्षक, सचिवालय, पटना की रिपोर्ट का था। रिपोर्ट/पत्र सं. 4025 दिनांक 03.09.1996 स्वर्गीय शंकर शरण सिंह के लापता होने से संबंधित है, जिसमें उन्होंने अपीलकर्ता को उनकी पत्नी बताया है और आगे कहा है कि बिभा कुमारी सिंह का लापता व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है।

57. आई.ए.सं.04/2022 के माध्यम से, अपीलकर्ता ने स्वर्गीय शंकर शरण सिंह द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सेवा पुस्तिका की फोटोकॉपी रिकॉर्ड में लाई है, जिसमें नूतन सिंह को उनकी पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा, उनकी बेटी शुभ्रा श्री की वर्ष 1993 की कक्षा-1 की नोट्रे डेम अकादमी, मुंगेर की स्कूल रिपोर्ट की एक और फोटोकॉपी भी है, जिस पर अपीलकर्ता के हस्ताक्षर के साथ स्वर्गीय शंकर शरण सिंह के हस्ताक्षर भी हैं।

58. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस प्रकार तर्क दिया कि ये सभी दस्तावेज अपीलकर्ता के इस मामले का पूर्ण समर्थन करते हैं कि वह स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी।

59. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि हालाँकि ये सभी दस्तावेज़ अपीलकर्ता के पास थे, लेकिन उन्हें विद्वान न्यायालय जहाँ उत्तराधिकार का मामला लंबित था, के समक्ष मामले का संचालन करने वाले अधिवक्ता की गलती के कारण अभिलेख पर नहीं लाया जा सका। हालाँकि, अब इस गलती को सुधार लिया गया है और इसे आई.ए. सं.04/2022 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष लाया गया है।

60. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दोहराया कि जब गलती का एहसास हुआ, तो संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की गई, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया।

61. व्यथित होकर, सी.आर. 679/2009 के तहत एक मामला पटना उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने, यद्यपि आदेश में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया, लेकिन दिनांक 29.04.2009 के एक आदेश के तहत यह टिप्पणी कि अपीलकर्ता को इसे अपील में लाने का अवसर मिलेगा।

62. इस प्रकार, उनका कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2009 के अपने आदेश में प्रदान की गई 'मामले की समीक्षा' के मद्देनजर, अपीलकर्ता इसे इस न्यायालय के समक्ष लाने का हकदार था जो अब आई.ए. सं.04/2022 दायर करके किया गया है।

63. उन्होंने दलील दी कि आई.ए. के माध्यम से अभिलेख पर लाए गए दस्तावेज़ निर्णायक रूप से साबित करते हैं कि वह स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की पत्नी हैं और इस प्रकार विद्वान न्यायालय ने उन्हें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र न देकर गलती की है और इस प्रकार इसे रद्द किया जाना उचित है।

64. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि ऐसे निर्णय हैं जो दर्शाते हैं कि दस्तावेजों/साक्ष्यों पर अपीलीय चरण में भी कभी भी विचार किया जा सकता है और इसलिए इसे इस न्यायालय के विचारार्थ आई.ए सं.04/2022 के माध्यम से लाया गया है, जिसे अत्यधिक विलंब की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

65. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने मामले के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामले **ए.अंदिसामी चेट्टियार बनाम ए. सुब्बुराज चेट्टियार (2015) 17 एससीसी 713** में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कंडिका 12 से 19 पर विशेष जोर दिया गया है, जो इस प्रकार हैं:

> *"12. नियम 27 के उप-नियम (1) के आरंभिक शब्दों से, जो ऊपर उद्धृत हैं, यह स्पष्ट है कि पक्षकार अपीलीय न्यायालय में मौखिक या दस्तावेजी अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के हकदार नहीं हैं, सिवाय ऊपर उल्लिखित तीन स्थितियों के। पक्षकारों को अपीलीय स्तर पर कमियों को पूरा करने की अनुमति नहीं है। नियम 27 में उल्लिखित तीन शर्तों में से किसी एक को पूरा किए बिना किसी पक्षकार को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देना संहिता की भावना के विरुद्ध है। वर्तमान मामले में, दस्तावेज़ की वैज्ञानिक जाँच के लिए कोई आवेदन विचारण न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था (प्रदर्श ए-4), और न ही यह कहा जा सकता है कि वादी ने उचित परिश्रम के साथ उन दस्तावेजों को साबित करने के लिए ऐसा आवेदन*

प्रस्तुत नहीं किया होगा जिन पर उसने भरोसा किया है। अब यह देखना है कि क्या नियम 27 के उपनियम (1) के खंड (ख) में निहित तीसरी शर्त पूरी होती है या नहीं

13. के. आर. मोहन रेड्डी बनाम नेट वर्क इंक. [के. आर. मोहन रेड्डी बनाम नेट वर्क इंक., (2007) 14 एस. सी. सी. 257] इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः(एस. सी. सी. पी. 261, कंडिका 19)

"19. अपीलीय न्यायालय को ऐसा आदेश पारित नहीं करना चाहिए जिससे विचारण न्यायलय के समक्ष असफल पक्ष के साक्ष्य की कमज़ोरी को दूर किया जा सके, लेकिन अगर न्यायालय स्वयं पक्षों के बीच न्याय करने के लिए साक्ष्य की अपेक्षा करता है तो यह अलग होगा। निर्णय सुनाने की क्षमता को न्यायालय के मन को संतोषजनक रूप से निर्णय सुनाने की क्षमता के रूप में समझा जाना चाहिए। लेकिन केवल कठिनाई ही ऐसा निर्देश जारी करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

***14.** उत्तर पूर्वी रेलवे प्रशासन बनाम भगवान दास [उत्तर पूर्वी रेलवे प्रशासन बनाम भगवान दास, (2008) 8 एस. सी. सी. 511] में इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पीपी. 515-16, कंडिका 13)*

"13. हालाँकि सामान्य नियम यह है कि सामान्यतः अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के अभिलेख से बाहर नहीं जाना चाहिए और अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी, स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन धारा 107 सी.पी.सी, जो सामान्य नियम का अपवाद बनाती है, अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने या ऐसे साक्ष्य को निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अधीन लेने की

आवश्यकता रखने का अधिकार देती है। ये शर्तें सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत निर्धारित हैं। फिर भी, अतिरिक्त साक्ष्य तभी स्वीकार किया जा सकता है जब उक्त नियम में निर्धारित परिस्थितियाँ मौजूद पाई जाती हैं।

15. *एन. कमलम बनाम अय्यासामी [एन. कमलम बनाम अय्यासामी, (2001) 7 एससीसी 503] में, इस न्यायालय ने संहिता के आदेश 41 के नियम 27 की व्याख्या करते हुए, कंडिका 19 में निम्नलिखित टिप्पणी की है: (एससीसी पृष्ठ 514)*

"19. ... आदेश 41 नियम 27 के प्रावधानों को संहिता में इस प्रकार शामिल नहीं किया गया है कि मामले की कमज़ोरियों को दूर किया जा सके और अपील न्यायालय में हुई चूक को पूरा किया जा सके—यह साक्ष्य में किसी भी कमी या अंतराल को भरने का अधिकार नहीं देता। अपीलीय न्यायालय को नए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार और क्षेत्राधिकार एक विशेष तरीके से निर्णय सुनाने के उद्देश्य तक ही सीमित है।"

16. *भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन [भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन, (2012) 8 एस. सी. सी. 148:(2012) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 362] इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:(एस. सी. सी. पी. 171,कंडिका 49)*

"49.आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत एक आवेदन पर अपील की सुनवाई के समय गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों और/या साक्ष्यों का संबंधित मुद्दों से कोई प्रासंगिकता/संबंध है। अतिरिक्त साक्ष्य की स्वीकार्यता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह संबंधित मुद्दे से

संबंधित है या नहीं, या इस तथ्य पर कि आवेदक को पहले ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला था या नहीं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपीलीय न्यायालय को प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की आवश्यकता है या नहीं ताकि वह निर्णय सुना सके या किसी अन्य ठोस कारण से। इसलिए, वास्तविक परीक्षण यह है कि क्या अपीलीय न्यायालय प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त साक्ष्य पर विचार किए बिना अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर निर्णय सुनाने में सक्षम है। (मूल प्रति में जोर)

17. *अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष तर्क दिया कि उच्च न्यायालय को, निचली अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित अपील के अंतरिम चरण में, पुनरीक्षण में, आवश्यकता के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।*

18. *हमने अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क पर विचार किया है और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का भी अवलोकन किया है कि ऐसे मामलों में संहिता की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है। महावीर सिंह बनाम नरेश चंद्र [महावीर सिंह बनाम नरेश चंद्र, (2001) 1 एससीसी 309] में, निचली अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने के मामलों में पुनरीक्षण के दायरे की व्याख्या करते हुए, आदेश 41 के नियम 27 में अभिव्यक्ति "या किसी अन्य पर्याप्त कारण से" की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है: (एससीसी पृष्ठ 314, कंडिका 5)*

"5. ... 'या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए' शब्दों को 'आवश्यकता' शब्द के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो प्रावधान के प्रारंभ में निर्धारित किया गया है, ताकि

यह केवल वहीं हो जहां किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए, अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता हो, कि यह नियम लागू होगा जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने केसौजी इशूर बनाम ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी में देखा है। [केसौजी इशूर बनाम ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी, 1907 एससीसी ऑनलाइन पीसी 9:(1906-07) 34 आई ए 115:आई. एल. आर. (1907) 31 बम 381] इन परिस्थितियों में ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।इसलिए, जब पहली अपीलीय न्यायालय को आवेदन की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो हम यह समझने में विफल रहे कि उच्च न्यायालय [नरेश चंद्र बनाम महावीर सिंह, 2000 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 610:(2001) 2 आई. सी. सी. 273], धारा 115 सी. पी. सी. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, इस तरह के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता था, विशेष रूप से जब पूरी अपील न्यायलय के समक्ष नहीं है।यह केवल उन परिस्थितियों में होता है जब अपीलीय न्यायालय को निर्णय देने के लिए ऐसे साक्ष्य की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न होगी और किसी अन्य परिस्थिति में नहीं। आदेश 41 नियम 27 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदन पर आदेश पारित किया, पूरी याचिका उसके समक्ष थी और यदि पहली अपीलीय न्यायालय संतुष्ट है कि अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी, तो हम यह समझने में विफल हैं कि उच्च न्यायालय धारा 115 सी. पी. सी. के तहत इस तरह के आदेश में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है।

***19.** गुरूदेव सिंह बनाम मेहंगा राम [गुरूदेव सिंह बनाम मेहंगा राम, (1997) 6 एस. सी. सी. 507] मामले में*

इस न्यायालय ने इसी तरह के मुद्दे पर विचार व्यक्त किया हैः(एस. सी. सी. पी. 508, कंडिका 2)

"2. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। हमारे समक्ष अपीलकर्ताओं की शिकायत यह है कि उनके द्वारा फिरोजपुर के विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर अपील में, दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 41 नियम 27(बी) के तहत एक आवेदन में, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपील की अंतिम सुनवाई में गलत तरीके से पाया कि हस्तलेखन विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण के माध्यम से अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जैसा कि अपीलकर्ताओं ने अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय ने धारा 115 सीपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, आक्षेपित आदेश में यह विचार किया कि अपीलीय न्यायालय का आदेश कायम नहीं रखा जा सकता। हमारे विचार में, उस अंतरिम चरण में उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण दृष्टिकोण, जब अपील अंतिम सुनवाई के लिए विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष लंबित थी, उचित नहीं था और उच्च न्यायालय को उस आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जो अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था। कारण स्पष्ट है। अपीलीय न्यायालय, जो मामले की अंतिम सुनवाई कर रहा है, आदेश 41 नियम 27, विशेष रूप से खंड (ख) के तहत किसी न किसी रूप में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। यदि आदेश गुण-दोष के आधार पर गलत था, तो प्रतिवादी के लिए उसे कानून के अनुसार चुनौती देना हमेशा खुला रहेगा यदि अपीलीय डिक्री पारित होने के बाद मामले को दूसरी अपील में ले जाने का अवसर उत्पन्न होता है। लेकिन इस अंतरिम चरण में, उच्च न्यायालय को यह नहीं मानना चाहिए था कि

यह आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर था। केवल इस संक्षिप्त प्रश्न पर,इसमें शामिल विवाद के गुण-दोष और दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य के संबंध में दिए गए तर्कों की वैधता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं।"

66. उन्होंने आगे **भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं अन्य (2012) 8 एससीसी 148** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय का उल्लेख कंडिका 49 के विशिष्ट संदर्भ के साथ किया, जो इस प्रकार है:

"विचार का चरण

49. *आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत एक आवेदन पर अपील की सुनवाई के समय गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों और/या साक्ष्यों का संबंधित मुद्दों से कोई संबंध/संबंध है या नहीं। अतिरिक्त साक्ष्य की स्वीकार्यता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह संबंधित मुद्दे से संबंधित है या नहीं, या इस तथ्य पर कि आवेदक को पहले ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला था या नहीं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपीलीय न्यायालय को प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की आवश्यकता है या नहीं ताकि वह निर्णय सुना सके या किसी अन्य ठोस कारण से। इसलिए, वास्तविक परीक्षण यह है कि क्या अपीलीय न्यायालय प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त साक्ष्यों पर विचार किए बिना अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर निर्णय सुनाने में सक्षम है। ऐसा अवसर तभी आएगा जब साक्ष्यों की वर्तमान स्थिति की जांच करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि न्यायालय को कोई अंतर्निहित कमी या दोष*

स्पष्ट हो जाता है। (देखें अर्जन सिंह बनाम करतार सिंह [1951 एससीसी 178 : एआईआर 1951 एससी 193] और नत्था सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त, कराधान [(1976) 3 एससीसी 28 : एआईआर 1976 एससी 1053])

67. *विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे* ***भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं अन्य*** *में सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय का उल्लेख किया, जो* ***2013 में (1) पीएलजेआर (एससी) 48*** *में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें कंडिका 25 से 27 और 29 का विशेष संदर्भ दिया गया था और उसे शामिल करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:*

> *"**25.** सामान्य सिद्धांत यह है कि अपीलय न्यायालय को निम्न न्यायालय के अभिलेख से बाहर नहीं जाना चाहिए और अपील में कोई भी साक्ष्य नहीं ले सकता। हालाँकि, एक अपवाद के रूप में,आदेश XLI नियम 27 सी.पी.सी. अपीलीय न्यायालय को असाधारण अतिरिक्त परिस्थितियों में साक्ष्य लेने का अधिकार देता है। अपीलीय न्यायालय केवल तभी अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति दे सकता है और केवल तभी जब इस नियम में निर्धारित शर्तें मौजूद पाई जाती हैं। पक्षकार अधिकार के रूप में, ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने के हकदार नहीं हैं। इस प्रकार, यह प्रावधान तब लागू नहीं होता जब अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर,अपीलय न्यायालय एक संतोषजनक निर्णय सुना सकता है। मामला पूरी तरह से न्यायालय के विवेकाधिकार में है और इसका संयम से उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा विवेकाधिकार केवल एक न्यायिक विवेकाधिकार है जो स्वयं नियम में निर्दिष्ट सीमाओं द्वारा परिभाषित है।[के द्वारा:के.वेंकटरमैया बनाम ए. सीतारमा रेड्डी और अन्य, एआईआर 1963 एससी 1526; नगरपालिका ग्रेटर बॉम्बे कॉर्पोरेशन बनाम लाला पंचम एवं अन्य, एआईआर*

1965 एससी 1008; सूंडा राम और अन्य. बनाम.रामेश्वरलाल एवं अन्य, आकाशवाणी 1975 एससी 479; और सैयद अब्दुल खादर बनाम. रामी रेड्डी एवं अन्य, एआईआर 1979 एससी 553]।

26. *अपीलीय न्यायालय को सामान्यतः किसी पक्ष को अपील में कोई नया मुद्दा उठाने में सक्षम बनाने के लिए नए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार, जहाँ कोई पक्ष, जिस पर किसी निश्चित बिंदु को साबित करने का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का नया अवसर नहीं मिलता, क्योंकि न्यायालय ऐसे मामले में उसके विरुद्ध निर्णय सुना सकता है और उसे निर्णय सुनाने के लिए किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। [के द्वारा: हाजी मोहम्मद इशाक डब्ल्यूडी. एस.के. मोहम्मद एवं अन्य बनाम मोहम्मद इकबाल एवं मोहम्मद अली एंड कंपनी, एआईआर 1978 एससी 798]।*

27. *आदेश XLI, नियम 27* **सी.पी.सी.** *के तहत अपीलय न्यायालय को किसी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने और किसी गवाह से परीक्षा करने की अनुमति देने का अधिकार है। लेकिन उक्त न्यायालय की आवश्यकता उन मामलों तक ही सीमित होनी चाहिए जहाँ उसे निर्णय सुनाने के लिए ऐसा साक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक लगे। यह प्रावधान अपीलीय न्यायालय को अपील के चरण में नए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं देता है जहाँ ऐसे साक्ष्य के बिना भी वह किसी मामले में निर्णय सुना सकता है। यह अपीलीय न्यायालय को केवल किसी विशेष तरीके से निर्णय सुनाने के उद्देश्य से नए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं देता है। दूसरे शब्दों में,केवल साक्ष्य में किसी कमी को दूर करने के*

लिए ही अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने का अधिकार है [के द्वारा: लाला पंचम एवं अन्य(ऊपर)]

28. *अपीलीय न्यायालय का कार्य किसी एक पक्ष द्वारा निम्न न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य को पूरक करना नहीं है। अतः निम्न न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत न करने के संतोषजनक कारणों के अभाव में, अतिरिक्त साक्ष्य को अपील में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि निम्न न्यायालय में लापरवाही का दोषी पक्ष इस नियम के तहत आगे साक्ष्य प्रस्तुत करने की छूट का हकदार नहीं है। अतः जिस पक्ष को निम्न न्यायालय में कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिला था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा या ऐसा न करने का निर्णय लिया, उसे अपील में स्वीकार नहीं किया जा सकता। [के द्वारा: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनबोधन लाल श्रीवास्तव, एआईआर 1957 एससी 912; और एस. राजगोपाल बनाम सी.एम. अर्मुगम एवं अन्य, एआईआर 1969 एससी 101]*

29. *पक्षकार की असावधानी या उसकी शामिल कानूनी मुद्दों को समझने में असमर्थता या किसी अधिवक्ता की गलत सलाह या अधिवक्ता की लापरवाही या पक्षकार को किसी दस्तावेज़ के महत्व का एहसास न होना इस नियम के अर्थ में "महत्वपूर्ण कारण" नहीं बनता। केवल यह तथ्य कि कुछ साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, अपने आप में उस साक्ष्य को अपील में स्वीकार करने का पर्याप्त आधार नहीं है।"*

68. इसके बाद विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **संजय कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य** मामले में दिए गए एक अन्य आदेश का हवाला दिया, जो **ए.आई.आर. 2022 एस.सी.1372** में प्रकाशित हुआ था। इसमें यह माना गया था

कि प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त साक्ष्य का निर्णय सुनाने पर सीधा प्रभाव पड़ेगा या किसी अन्य ठोस कारण से, इस पर विचार किया जाना चाहिए और विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय के कंडिका-5 को उद्धृत करना उचित होगा।

> *"5. इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णय में प्रतिपादित विधि को प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हमारा यह मत है कि अतिरिक्त साक्ष्य के लिए आवेदन पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त प्रासंगिक विचार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, अर्थात, क्या प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त साक्ष्य का निर्णय सुनाने पर सीधा प्रभाव पड़ेगा या किसी अन्य ठोस कारण से। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 29.12.1987 के विक्रय विलेख को छोड़कर, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया था, अधिग्रहीत भूमि का उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए अभिलेख पर कोई अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उच्च न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य के लिए आवेदन स्वीकार करना चाहिए था। हालाँकि,साथ ही, अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने के बाद भी,आवेदक को कानून के अनुसार, दस्तावेज़ों के अस्तित्व, प्रामाणिकता और वास्तविकता, जिसमें उनकी सामग्री भी शामिल है, को साबित करना होगा और उपरोक्त उद्देश्य के लिए, मामले को संदर्भ न्यायालय को वापस भेजा जाना है।"*

69. अंत में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के **डॉ. चंद्र देव त्यागी बनाम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न्यायालय** के एक अप्रकाशित निर्णय को अभिलेख में प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कंडिका -52 में निम्नलिखित निर्णय दिया था:

*"**37.** अपीलीय न्यायालय को सामान्यतः किसी पक्षकार को अपील में कोई नया मुद्दा उठाने में सक्षम बनाने के लिए नए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार, जहाँ कोई पक्षकार, जिस पर किसी निश्चित बिंदु को साबित करने का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का नया अवसर नहीं मिलता, क्योंकि न्यायालय ऐसे मामले में उसके विरुद्ध निर्णय सुना सकता है और उसे निर्णय सुनाने के लिए किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। (के द्वारा: हाजी मोहम्मद इशाक बनाम मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली एंड कंपनी [(1978) 2 एससीसी 493: एआईआर 1978 एससी 7981)*

__52.__ इस प्रकार, उपरोक्त से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य रिकॉर्ड पर लेने के लिए आवेदन, भले ही वह अपील के लंबित रहने के दौरान दायर किया गया हो, अपील की अंतिम सुनवाई के समय उस चरण में सुना जाना चाहिए जब अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अतिरिक्त साक्ष्य को अभिलेख में लेना आवश्यक था ताकि निर्णय सुनाया जा सके या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण से। यदि अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेख में लेने के आवेदन पर अपील की सुनवाई से पहले विचार किया गया है और उसे स्वीकार कर लिया गया है, तो आदेश पूरी तरह से विचार न करने का परिणाम है कि क्या ऐसे साक्ष्य को निर्णय सुनाने के लिए अभिलेख पर लेना आवश्यक है या नहीं, यह अप्रासंगिक/निष्पादन योग्य नहीं है और इसे अनदेखा किया जा सकता है।

70. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दोहराया कि उपरोक्त निर्णयों के आलोक में,

वह अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की हकदार थीं क्योंकि उन्हें अपील की अवधि के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पटना उच्च न्यायालय द्वारा एक 'जैकेट' प्रदान किया गया था। भले ही उसे अपील दायर करते समय रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था, वह हमेशा अपीलकर्ता के पास उपलब्ध था जिसका उसने अब मध्यवर्ती आवेदनों के माध्यम से इन सामग्रियों को रिकॉर्ड पर लाकर लाभ उठाया है और इस प्रकार विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि इसे बहुत विलंबित चरण में की गई कार्रवाई नहीं कहा जा सकता क्योंकि अपील अभी भी इस न्यायालय के समक्ष लंबित है। हालाँकि, वह मानती हैं कि 2010 में दायर अपील में इस बारे में कोई दलील नहीं दी गई थी और न ही इसे प्रारंभिक चरण में अभिलेख पर लाया गया था।

71. श्रीमती निवेदिता निर्वाकर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि दोनों अपीलें स्वीकार किए जाने योग्य हैं और निम्न न्यायालय का आदेश विरोधाभासी होने के कारण, उसे रद्द किया जाना उचित है।

72. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार शर्मा के अनुसार, यह वाद स्वयं में स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (जिसे अब संक्षेप में 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 372 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था क्योंकि स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की माता को पक्षकार नहीं बनाया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में धारा 372 की ओर विशेष रूप से उप-अनुच्छेद (ग) का उल्लेख करते हुए इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है।

73. 'अधिनियम' की धारा 372 को निम्नलिखित रूप में दर्ज करना उपयुक्त है:

> ***"372 प्रमाण पत्र के लिए आवेदन--*** *(1)ऐसे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जिला न्यायाधीश को एक याचिका द्वारा किया जाएगा, जो आवेदक द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और सत्यापित होगी दीवानी प्रक्रिया*

संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित तरीके से, वादी द्वारा या उसकी ओर से वादपत्र पर हस्ताक्षर और सत्यापन के लिए, और जिसमें निम्नलिखित विवरण दिए गए हों, अर्थात्:—

(क) मृतक की मृत्यु का समय;

(ख) मृतक की मृत्यु के समय उसका सामान्य निवास और यदि ऐसा निवास उस न्यायाधीश की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं था, जिसके लिए आवेदन किया गया है, तो उन सीमाओं के भीतर मृतक की संपत्ति;

(ग) मृतक के परिवार या अन्य निकट संबंधी और उनके संबंधित निवास;

(घ) वह अधिकार जिसमें याचिकाकर्ता दावा करता है;

(ङ) धारा 370 या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत, प्रमाणपत्र प्रदान करने में किसी बाधा का अभाव या यदि प्रदान किया गया हो तो उसकी वैधता में; और

(च) वे ऋण और प्रतिभूतियाँ जिनके संबंध में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाता है।

(2) यदि याचिका में कोई ऐसा कथन है जिसे सत्यापित करने वाला व्यक्ति जानता है या गलत मानता है, या सच नहीं मानता है, तो उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 198 के तहत अपराध करने वाला माना जाएगा।

[(3) इस तरह के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन मृतक लेनदार को देय किसी भी ऋण या ऋणों के संबंध में या उसके किसी भाग के संबंध में किया जा सकता है।]

74. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 'अधिनियम' की धारा 372 के तत्व अनिवार्य हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए और पालन न करने की स्थिति में, धारा

383 लागू होती है जो निरस्तीकरण का प्रावधान करती है। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि यह अनिवार्य है, न कि निर्देशात्मक।

75. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय **के के.पी. नारायण रेड्डी उर्फ पुलिस नारायण रेड्डी बनाम अल्ला नागी रेड्डी एवं अन्य** के मामले की ओर आकर्षित किया है, जो **एआईआर 1996 आंध्र प्रदेश 198** में दर्ज है, जिसमें कंडिका **7** का संदर्भ इस प्रकार है:

> *"7. अधिनियम की धारा 372 और 373 दोनों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 372 के तहत प्रदान की गई शर्तें अनिवार्य हैं। धारा 372 के तहत शर्तों का पालन न करने पर, अधिनियम की धारा 383 निरस्तीकरण का प्रावधान करती है। जब शर्तों का पालन न करने पर प्रमाणपत्र निरस्त हो जाता है, तो एकमात्र निष्कर्ष यह संभव है कि धारा 372 द्वारा लगाई गई शर्तें अनिवार्य हैं, निर्देशिका नहीं। इस स्तर पर यह देखा जाना चाहिए कि अधिनियम की यह धारा 383 अधिनियम की धारा 263 के समान है। अधिनियम की धारा 263 प्रोबेट या प्रशासन पत्रों के अनुदान को निरस्त करने का भी प्रावधान करती है। उस धारा में, अधिनियम स्वयं उस धारा के स्पष्टीकरण के लिए कुछ उदाहरण प्रदान करता है। चर्चा के उद्देश्य से,मेरे लिए यह भी आवश्यक है कि मैं अधिनियम की धारा 263* को निम्नलिखित उदाहरणों के साथ उद्धृत करूँ:
>
> *"263. उचित कारण से निरसन या निरस्तीकरण:--*
>
> *प्रोबेट या प्रशासन पत्र का अनुदान उचित कारण से रद्द या निरस्त किया जा सकता है।*
>
> *व्याख्याः--न्यायसंगत कारण का अस्तित्व माना जाएगा जहाँ--*
>
> *क) अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही सार*

में दोषपूर्ण थी;

या

(ख) अनुदान धोखाधड़ी से गलत सुझाव देकर या न्यायालय से मामले के लिए कुछ सामग्री छिपाकर प्राप्त किया गया था; या

(ग) अनुदान को उचित ठहराने के लिए कानून के दृष्टिकोण से आवश्यक तथ्य के असत्य आरोप के माध्यम से प्राप्त किया गया था, हालांकि ऐसा आरोप अज्ञानता में या अनजाने में लगाया गया था; या

(घ) अनुदान परिस्थितियों के कारण बेकार और निष्क्रिय हो गया है; या

(ङ) जिस व्यक्ति को अनुदान दिया गया था, उसने जानबूझकर और बिना किसी उचित कारण के इस भाग के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार कोई सूची या विवरण प्रदर्शित करने में चूक की है, या उस अध्याय के अंतर्गत कोई सूची या विवरण प्रदर्शित किया है, जो किसी भी दृष्टि से असत्य है।

दृष्टांत

(i) जिस न्यायालय द्वारा अनुदान दिया गया था, उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(ii) यह अनुदान उन पक्षों का उल्लेख किए बिना दिया गया जिनका उल्लेख किया जाना चाहिए था।

(iii) जिस वसीयत की प्रोबेट प्राप्त की गई थी, वह जाली थी या रद्द कर दी गई थी।

(iv) ए ने बी की संपत्ति के प्रशासन के पत्र प्राप्त किए, क्योंकि वह उसकी विधवा थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह कभी भी उससे विवाह नहीं की थी।

(v) ए ने बी की संपत्ति का प्रशासन इस तरह से अपने हाथ में ले लिया है जैसे कि उसकी मृत्यु बिना

वसीयत के हुई हो, लेकिन बाद में एक वसीयत का पता चला है।

(vi) चूंकि प्रोबेट दिया गया था, इसलिए बाद में एक वसीयत का पता चला है।

(vii) चूंकि प्रोबेट दिया गया था, एक वसीयतनामे का परवर्ती उत्तराधिकार पत्र खोज की गई जो वसीयत के तहत निष्पादकों की नियुक्ति को रद्द या जोड़ती है।

(viii) जिस व्यक्ति को प्रोबेट दिया गया था, या प्रशासन के पत्र दिए गए थे, वह बाद में अस्वस्थ हो गया है।

76. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तब 2002 के उत्तराधिकार मामले में अपीलार्थी द्वारा दायर की गई शिकायत की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जो इस प्रकार हैंः

में,

जिला न्यायाधीश का न्यायालय, पटना

2002 का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मामला सं.115 श्रीमती. नूतन सिंह, स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की पत्नी, वर्तमान में मोहल्ला-शिवपुरी, थाना शास्त्री नगर, शहर और जिला-पटना में रहती हैं।

... ... याचिकाकर्ता।

बनाम

शंकर शरण सिंह, पिता स्वर्गीय राम भजन सिंह थाना-शास्त्री नगर, शहर और जिला-पटना की जागीर।

... ... विरोधी पक्ष।

उपरोक्त याचिकाकर्ता की ओर से उत्तराधिकार

अधिनियम की धारा 372 के तहत विनम्र याचिका।

77. इस प्रकार उन्होंने दलील दी कि जब अधिनियम की धारा 372 द्वारा लगाई गई शर्तें अनिवार्य हैं, तो ऐसा न करने पर, नूतन सिंह द्वारा दायर वाद भी स्वीकार्य नहीं है।

78. उत्तरदाता सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि वाद मूल रूप से 2000 में दायर किया गया था जिसे 26.06.2009 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अपीलकर्ता ने 2010 में अपील दायर की, लेकिन विद्वान न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करने के बारे में कोई सूचना नहीं थी और न ही सेवा पुस्तिका/रिपोर्ट कार्ड की उपस्थिति का कोई उल्लेख था और उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान अपीलकर्ता द्वारा एम.ए. सं. 190/2010 में की गई प्रार्थना की ओर पुनः आकर्षित किया है, जो नीचे संलग्न हैं:

आधार

I. इसके लिए निम्न न्यायालय का निर्णय तथ्य के साथ-साथ विधिक दृष्टि से भी गलत है।

II. इसके लिए निम्न न्यायालय यह समझने में विफल रही है कि अपीलार्थी अपना मामला साबित करने में सफल रही है।

III. इसके लिए निम्न न्यायालय यह समझने में विफल रही है कि इस अपीलकर्ता की ओर से पेश किए गए गवाह उसके मामले को साबित करने में सक्षम हैं और उन्होंने वास्तव में इसे साबित भी किया है, जबकि बीघा द्वारा पेश किए गए गवाह शंकर शरण सिंह के साथ उसके कथित विवाह को साबित करने में

सक्षम नहीं हैं।

IV. इसके लिए निम्न न्यायालय ने इस अपीलकर्ता द्वारा 06-05-2003 को दायर किए गए दस्तावेजों को चिह्नित न करके अवैधता की है।

V. इसके लिए निम्न न्यायालय ने जेल विभाग की अभिरक्षा से दस्तावेज़ मांगने से इनकार करके अवैधता की है।

VI. इसके लिए निम्न न्यायालय यह समझने में विफल रही है कि प्रदर्श 2, जिसमें इस अपीलकर्ता को प्रेम कुमारी सिंह (स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की माँ) द्वारा शंकर शरण सिंह की पत्नी बताया गया था, अपीलकर्ता के मामले को साबित करता है।

VII. इसके लिए निम्न न्यायालय यह समझने में विफल रही है कि बंटवारे के मुकदमे में 292/2000 में स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की प्रतिवादी माँ ने कभी भी वादी के शंकर सिंह की पत्नी होने के दावे को चुनौती नहीं दी और न ही बिभा कुमारी के साथ विवाह की बात कही।

VIII. इसके लिए निम्न न्यायालय ने बिक्री विलेख में विभा सिंह को शंकर शरण सिंह की पत्नी के रूप में दर्शाने पर भरोसा करके अवैधता की है क्योंकि यह अपीलकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता बिक्री विलेख में पक्षकार नहीं था।

IX. क्योंकि निम्न न्यायालय ने प्रदर्श 7 सीसी पर भरोसा करके अवैधता की है, जिस प्राथमिकी के बारे में कहा गया है कि वह

शंकर शरण सिंह द्वारा दर्ज की गई थी, जबकि मूल प्रति नहीं मांगी गई थी और उस पर हस्ताक्षर शंकर शरण सिंह के साबित नहीं हुए थे।

X. इसके लिए निम्न न्यायालय ने लगन पत्रिका पर भरोसा करने में अवैधता की है जिसे किसी भी स्तर पर निर्मित किया जा सकता है और जिसे विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है।

XI. इसके लिए कथित रूप से बिभा और उनके पति के नाम पर कथित संयुक्त खाता सही नहीं है क्योंकि यह बिभा और एस. के. सिंह के नाम पर है और प्रदर्शित भी नहीं किया गया है।

XII. इसके लिए निम्न न्यायालय ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 374,375 की आवश्यकता का पालन नहीं करने में अवैधता की है।

79. विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि अपीलकर्ता विद्वान न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करने पर अड़ा हुआ है जिसके कारण उसे पटना उच्च न्यायालय में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसने हस्तक्षेप तो नहीं किया, लेकिन उसे अपील के किसी भी चरण में इसका उपयोग करने की 'जैकेट' प्रदान की, परंतु इस बारे में कोई तर्क नहीं है कि उसे अपील दायर करते समय उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से किसने रोका और/या उन्हें आधार में शामिल करने से रोका।

80. इस प्रकार उन्होंने दलील दी कि दो दशकों के बाद अभिलेख में लाए गए सभी दस्तावेज़ निर्मित दस्तावेज़ हैं और इसलिए अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।

81. उन्होंने आगे दलील दी कि 2010 में दायर मूल वादपत्र (2010 का एमए सं. 190 और 2012 का एमए सं.215) में किसी भी दलील के अभाव में, उक्त तर्क भी

खारिज किए जाने योग्य है। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI नियम 27 की ओर आकर्षित किया, जो इस प्रकार है:

> ***"27. अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना।-*** *(1) याचिका के पक्षों को अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी, प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होंगे।*
>
> *लेकिन यदि—*
>
> *(क) जिस न्यायालय की डिक्री से अपील की जाती है, उसने ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जिन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए था, या*
>
> *(कक) अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयास करने वाला पक्ष यह स्थापित करता है कि उचित परिश्रम के बावजूद, ऐसा साक्ष्य उसकी जानकारी में नहीं था या, उचित परिश्रम के बाद, उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब अपील की गई डिक्री पारित की गई थी, या*
>
> *(ख) अपीलीय न्यायालय किसी भी दस्तावेज को पेश करने या किसी गवाह से पूछताछ करने की अपेक्षा करता है ताकि वह निर्णय सुनाने में सक्षम हो सके, या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए, अपीलीय न्यायालय ऐसे साक्ष्य या दस्तावेज को पेश करने की अनुमति दे सकता है, या गवाह को परीक्षण के लिए अनुमति दे सकता है।*
>
> *(2) जब भी किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी जाती*

है, तो न्यायालय उसके स्वीकार किए जाने का कारण दर्ज करेगा।"

82. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं अन्य** [2013(1) पीएलजेआर (एससी) 48] में दर्ज मामले का उल्लेख किया, जिसमें कंडिका 25 से 29 का विशेष संदर्भ दिया गया है, जिसे इस न्यायालय ने पहले ही पिछले कंडिका में दर्ज कर लिया है।

83. तथ्यों के आधार पर, उत्तरदाता सं.2 के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि जहाँ तक अपीलकर्ता के बँटवारे का वाद दायर करने और उसकी पत्नी होने की प्रामाणिकता पर कोई प्रश्न न होने के दावे का संबंध है, पहली बात तो यह है कि उत्तरदाता को उक्त विभाजन के वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया था और दूसरी बात, परिवार के सदस्यों ने, जिन्होंने प्रार्थना का विरोध किया था, केवल यह कहा था कि विभाजन पहले ही हो चुका है। इस प्रकार, विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने महिला को स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की पत्नी के रूप में स्वीकार किया था।

84. इसके अलावा, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि जहाँ तक शास्त्री नगर थाना के समक्ष कथित 'सनहा' का संबंध है, वह बीस साल बाद स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से तैयार किया गया दस्तावेज है और इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज न होने और/या अंतिम प्रपत्र/आरोप पत्र न होने के कारण, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्क अस्वीकार किए जाने योग्य है। पुनः, जहाँ तक उप-पुलिस अधीक्षक, सचिवालय, पटना द्वारा जारी पत्र का संबंध है, विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि उन्हें स्वर्गीय शंकर शरण सिंह के लापता होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी और उन्हें यह शामिल करने का कोई अधिकार नहीं था कि कौन कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और कौन नहीं।

85. अगला तर्क यह था कि जहाँ तक विभाग द्वारा 27,000/- रुपये के अनुदान का संबंध है, अपीलकर्ता ने इसे स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की पत्नी होने के झूठे

आधार पर लिया था और एक बार जब उत्तरदाता ने हस्तक्षेप किया, तो उसे कोई और भुगतान नहीं किया गया।

86. इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा दो दशक बाद प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों पर, जिन पर स्वर्गीय शंकर शरण सिंह के हस्ताक्षर थे, विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि जानकारी अनुसार, स्वर्गीय शंकर शरण सिंह ने हमेशा हिंदी में हस्ताक्षर किए और कभी भी किसी दस्तावेज़ पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर नहीं किए और इस प्रकार, अपीलकर्ता की ओर से संलग्न दोनों दस्तावेज़, यानी स्कूल रिकॉर्ड और स्वर्गीय शंकर शरण सिंह के अंग्रेजी में हस्ताक्षर वाली सेवा पुस्तिका, को निश्चित रूप से जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज़ माना जा सकता है, जिन्हें मामले को प्रभावित करने के लिए तैयार किया गया है और ये सतर्कता जाँच के अधीन हैं।

87. विद्वान अधिवक्ता ने अंत में दलील दी कि नाबालिग बच्चे की सेवा पुस्तिका और स्कूल रिकॉर्ड पर दो हस्ताक्षरों के अवलोकन से पता चलता है कि स्वर्गीय शंकर शरण सिंह के हस्ताक्षर भी एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि अगर ये असली दस्तावेज़ होते, तो अपीलकर्ता को इन्हें अभिलेख में दर्ज कराने के लिए दो दशकों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता और इसलिए ये उसके मामले को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं।

88. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि दोनों अपीलें योग्यता के बिना हैं और अस्वीकार किए जाने के योग्य हैं।

89. जहाँ तक अपीलार्थी **नूतन सिंह** का संबंध है, अपीलकर्ताओं और उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार करने और मामले के अभिलेखों तथा दिनांक 26.06.2009 के आदेश का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि:

(i) स्वीकार किया गया तथ्य यह है कि अधिनियम की धारा 372 के

विपरीत, उन्होंने अपने द्वारा लाए गए उत्तराधिकार मुकदमे में सास (स्वर्गीय शंकर शरण सिंह के परिवार के सदस्य) के विवरण को शामिल नहीं करने का फैसला किया;

(ii) जैसा कि विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, पटना ने देखा, वह 20.07.1995 से पहले का कोई भी दस्तावेज रिकॉर्ड में लाने में भी विफल रही, जिससे यह साबित हो सके कि वह स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की पत्नी है;

(iii) इसके अलावा, संपत्ति (सास के नाम पर पंजीकृत) पर कब्जा करना और किराया देना किसी भी तरह से उसे स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की पत्नी साबित नहीं करता है;

(iv) उनके पक्ष में जारी किए गए 27,000 रुपये शुरू में उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर तब जारी किए गए थे जब सरकार को बिभा कुमारी सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जब उन्हें इसके बारे में पता चला, तो कोई और भुगतान नहीं किया गया;

(v) अधिवक्ता की गलती यह है कि उसने निम्न न्यायालय के समक्ष दस्तावेजबी अभिलेख पर लाए, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, **भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं अन्य [2013 (1) पीएलजेआर (एससी) 48]** में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के मद्देनजर अपीलकर्ता के बचाव में नहीं आते हैं, जिसमें कंडिका-29 में विशेष रूप से यह माना गया था कि:

> *'पक्ष की असावधानी या संबंधित कानूनी मुद्दों को समझने में उसकी असमर्थता या किसी अधिवक्ता की गलत सलाह या अधिवक्ता की लापरवाही या यह कि पक्ष को किसी दस्तावेज़ का महत्व समझ में नहीं*

आया, इस नियम के अर्थ में "महत्वपूर्ण कारण" नहीं बनता।

(vi) वर्ष 2010 और 2012 में इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर करते समय भी, अपीलार्थी ने इन दस्तावेजों के बारे में उल्लेख नहीं करने का फैसला किया;

(vii) यह पहली बार है और दो दशक बाद दस्तावेजों को 2022 के आई. ए.सं.04 के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाया गया है;

(viii) इस संदर्भ में, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्वर्गीय शंकर शरण सिंह हमेशा अपने हस्ताक्षर हिंदी में करते थे;

(ix) इस तथ्य पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि अपीलकर्ता का लगातार यही कहना है कि शादी के बाद वह शिवपुरी, पटना में ही रही, जहाँ वह अभी भी रहने का दावा करती है,स्कूल कार्ड, जिसे आई.ए. सं.04/2022 में रिकॉर्ड में लाया गया है, दर्शाता है कि छोटी बच्ची, शुभ्रा श्री, नोट्रे डेम अकादमी, मुंगेर में कक्षा-1 की छात्रा थी। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इस बिंदु पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

90. दूसरी ओर, जहाँ तक उत्तरदाता **बिभा सिंह उर्फ़ बिभा कुमारी सिंह** के मामले का संबंध है:

(i) विद्वान न्यायालय के समक्ष, उसने अपनी शादी की 'लगनपत्री' प्रस्तुत की, साथ ही दंपति और उनके बच्चे, गजानंद सिंह उर्फ़ विवेक सिंह के साथ संयुक्त तस्वीरें भी प्रस्तुत कीं;

(ii) उन्होंने बीभा कुमारी और स्वर्गीय शंकर

शरण सिंह के नाम पर संयुक्त रूप से खोला गया बैंक खाता भी प्रस्तुत किया।

(iii) उन्होंने आगे 1993 में खरीदी गई भूमि का बिक्री विलेख प्रस्तुत किया।

(iv) फिर बिहटा थाना मामला सं.197/1991 है, जो स्वर्गीय शंकर सिंह ने स्वयं अपने ससुर (बिभा कुमारी सिंह के पिता) के खिलाफ दर्ज कराया था, जिसमें उन पर मारपीट का आरोप लगाया गया था;

(v) एक अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जो विद्वत न्यायलय के समक्ष रिकॉर्ड पर लाया गया था, वह था बीभा कुमारी सिंह के पक्ष में स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की मां प्रेमा कुमारी द्वारा दिया गया 'अनापत्ति प्रमाण पत्र'।

91. इस प्रकार, अपीलकर्ता नूतन सिंह 20.07.1995 से पहले विद्वान न्यायालय के समक्ष कोई भी ऐसा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहीं जिससे यह सिद्ध हो सके कि वे स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की पत्नी हैं। इसके अलावा, दो दशक बाद अब प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों पर उपरोक्त टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में भरोसा नहीं किया जा सकता। जहाँ तक बिभा कुमारी सिंह का प्रश्न है, वे स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी होने के अपने दावे के समर्थन में कई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में सफल रही हैं।

92. **ए. अंदिसामी चेट्टियार बनाम ए. सुब्बुराज चेट्टियार** *(उपरोक्त)* मामले में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वास्तव में यह माना कि जब अपील विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए लंबित थी, तो उच्च न्यायालय द्वारा उस आदेश में हस्तक्षेप करना उचित

नहीं था जो अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण से यह अपीलकर्ता के मामले का समर्थन नहीं करता है।

93. जहाँ तक **भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं अन्य [2013 (1) पीएलजेआर (एससी) 49]** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध है, कंडिका-29 के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि पक्षकार की असावधानी या संबंधित कानूनी मुद्दे को समझने में उसकी असमर्थता या अधिवक्ता की गलत सलाह या अधिवक्ता की लापरवाही या पक्षकार को दस्तावेज़ के महत्व का एहसास न होना, नियम के अर्थ में 'पर्याप्त कारण' नहीं बनता है। केवल यह तथ्य कि कुछ साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, अपने आप में उस साक्ष्य को अपील में स्वीकार करने का पर्याप्त आधार नहीं है, वह भी दो दशकों के बाद।

94. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **संजय कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य** *(उपरोक्त)* मामले में दिए गए निर्णय के संबंध में, उस मामले में अधिग्रहीत भूमि का उचित बाज़ार मूल्य निर्धारित करने के लिए अभिलेखों में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय को साक्ष्य प्रस्तुत करने के आवेदन को स्वीकार करना चाहिए था। यहाँ अपीलकर्ता के विरुद्ध, विद्वान न्यायालय के पास इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए निर्णायक साक्ष्य थे कि बिभा कुमारी सिंह ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया था कि वह स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हैं।

95. जहाँ तक **डॉ. चंद्र देव त्यागी बनाम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न्यायालय** *(उपरोक्त)* मामले का संबंध है,कंडिका-37 के अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी थी कि सामान्यतः न्यायालय को किसी पक्ष को अपील में कोई नया मुद्दा उठाने में सक्षम बनाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

96. इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि:

(i) अपीलकर्ता ने उत्तराधिकार मामला दायर करते समय

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372(सी) के प्रावधानों का पालन नहीं किया, और जानबूझकर स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की माता प्रेमा कुमारी का नाम शिकायत से हटा दिया;

(ii) उन्होंने वर्तमाजैकेटन अपील दायर करते समय अतिरिक्त दस्तावेजों की उपस्थिति के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलने का फैसला किया;

(iii) इसके अलावा, उन्होंने ये दस्तावेज़ एक दशक तक प्रस्तुत नहीं किए, बल्कि इन्हें केवल 2022 के आई.ए. सं.4 के तहत दायर किया, जिसमें पटना उच्च न्यायालय द्वारा 2009 के सी.आर.679 में की गई टिप्पणी को गलत तरीके से व्याख्यायित किया गया जो कि एक 'जैकेट' है जिसका उपयोग कभी भी किया जा सकता है;

(iv) उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये बनाए गए दस्तावेज हैं;

(v) दूसरी ओर, 20-07-1995 से पहले के कई दस्तावेज़ हैं जो बिभा कुमारी सिंह के मुकदमे का हिस्सा थे, जो उन्हें स्वर्गीय शंकर शरण सिंह की पत्नी के रूप में प्रमाणित करते हैं;

(vi) पक्षकार की असावधानी या उसकी समझने में असमर्थता या अधिवक्ता की गलत सलाह/लापरवाही अपीलकर्ता को अपनी सुविधानुसार दस्तावेज़ के साथ आने के लिए अनंत काल तक प्रतीक्षा करने की अनुमति देने का आधार/पर्याप्त कारण नहीं हो सकती;

(vii) इस प्रकार अपीलकर्ता, विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, पटना द्वारा पारित दिनांक 26.06.2009 के सामान्य

आदेश और निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बना सका।

97. इस न्यायालय का इस प्रकार मानना है कि विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, पटना ने अपीलार्थी नूतन सिंह के 2002 के उत्तराधिकार मामले को खारिज करते हुए बिभा कुमारी सिंह द्वारा 2002 के उत्तराधिकार मामले को अनुमति देने का सही फैसला किया।

98. एम.ए. सं. 190/2010 और एम.ए. सं. 215/2012 के तहत दोनों अपीलें विफल रहीं और तदनुसार खारिज की जाती है।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

प्रकाश नारायण

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।